न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,(प्रशासन) बीकानेर
बईजलास श्री ए.एच.गौरी, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा 05/2016 रेफरेंस (राजस्व विविध)

सुनील कुमार पुत्र पूनमचन्द जाति बोथरा निवासी नोखा रोड़, गंगाशहर तहसील व जिला बीकानेर

प्रार्थी

बनाम

1. पेमाराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी करमीसर तह. व जिला बीकानेर
2. श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी राम गोपाल जाति जाट निवासी शिवशक्ति विहार कॉलोनी, बीकानेर
3. श्रीमती मेहती पत्नी कुन्नाराम उर्फ कुम्भाराम
4. टीकूदेवी पत्नी लिखमाराम
5. बाबूलाल पुत्र लिखमाराम
6. हनुमानराम पुत्र लिखमाराम
7. रामलाल पुत्र लिखमाराम
8. श्रीमती रूकमा पुत्री लिखमाराम
9. श्रीमती मंजू पुत्री लिखमाराम
10. श्रीमती लक्ष्मी पुत्री लिखमराम

(क्रम 3 से 10) जाति कुम्हार निवासी रिडमलसर तहसील व जिला बीकानेर

11. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार बीकानेर

अप्रार्थीगण

::रेफरेंस अन्तर्गत धारा 232 राज. काश्त. अधि. 1955 एवं सपठित धारा 82 एवं 88 (2) राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956::

उपस्थिति :–

1– प्रार्थी की ओर से – श्री बच्छराज कोठारी अधिवक्ता
2– अप्रार्थीगणों की ओर से – श्री सत्यपाल सहू अधिवक्ता
3– स्टेट की ओर से – विभागीय प्रतिनिधि

आदेश दिनांक 30.10.2019

1. प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी ने रेफरेंस प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भू.राजस्व अधिनियम एवं धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत इन्तकाल सं. 202 दिनांक 19.2.1968 ग्राम पंचायत उदासर जो आदेश तहसीलदार बीकानेर दिनांक 6.10.1967 की पालना में दर्ज किया है, को निरस्त करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफर किये जाने का आदेश फरमावें।

2. रेफरेंस प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगणों को जरिये नोटिस तलब किया गया एवं मूल रिकार्ड मंगवाया गया। अप्रार्थीगणों की ओर से श्री सत्यपाल सहू अधिवक्ता ने वकालतनामा एवं जवाब रेफरेंस प्रस्तुत किया।

3. प्रस्तुत रेफरेंस प्रकरण में प्रार्थी ने न्यायालय हाजा के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या 2018/4495 प्रस्तुत किया। माननीय राजस्व मण्डल द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज करते हुवे दिनांक 02.08.2018 को निर्णय पारित किया।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

4. तदन्तर उभयपक्ष की मामले के गुणावगुण पर बहस सुनी गई ।

5. प्रार्थी अधिवक्ता ने रेफरेंस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि प्रार्थी ग्राम उदासर हाल नोखा रोड़ गंगाशहर का निवासी है तथा शान्ति प्रिय व जागरूक नागरिक है। खेत खसरा नं. पुराना 123 तादादी 32 बीघा 9 बिस्वा उपनिवेशन बन्दोबस्ती खसरा नं. 37 तादादी 32 बीघा 9 बिस्वा मौजारोही उदासर में स्थित है जो अब चक 11 बीएसएम के मुरब्बा नं. 178/33 किला नं. 6, 15, 16 तादादी 3 बीघा, मुरब्बा नं. 178/41 किला नं. 6 ता 25 तादादी 20 बीघा, मुरब्बा नं. 178/49 किला नं. 11 व 20 तादादी 2 बीघा, मुरब्बा नं. 178/42 किला नं. 1 ता 4 तादादी 4 बीघा किला नं. 8, 9 व 13 तादादी 3 बीघा कुल 7 बीघा इस प्रकार कुल 32 बीघा भूमि स्थित है। उक्त वादगत भूमि कभी भी अप्रार्थीगण 3 ता 10 या उनके पूर्वज कुन्नाराम उर्फ कुम्भाराम के नाम एवं कब्जे काश्त में कभी नहीं रही। उक्त भूमि पुराना खसरा नं. 123 तादादी 32 बीघा 9 बिस्वा को जरिये इन्तकाल नं. 118 दिनांक 28.6.1965 को कुन्नाराम उर्फ कुम्भाराम पुत्र कुशलाराम के नाम खातेदारी दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत किया गया। लेकिन तत्कालीन नायब तहसीलदार बीकानेर ने दिनांक 28.6.1965 को इस आधार पर खारिज कर दिया कि "भूमि बीकानेर शहर की 5 मील सीमा में स्थित है," इसलिए खातेदारी नहीं दी जा सकती। इसलिए इन्तकाल नं. 118 दिनांक 28.06.1965 को खारिज किया गया। कुन्नाराम उर्फ कुम्भाराम या कुन्नाराम के वारिसान ने आज तक कोई अपील नहीं की, उक्त आदेश आज भी कायम है तथा इन्तकाल नं. 118 द्वारा कुन्नाराम को खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये। कुन्नाराम उर्फ कुम्भाराम ने राजस्व अमलामाल से साजिस करके इन्तकाल नं. 118 के खारिज होने के बावजूद, इस तथ्य को छुपाते हुए तहसीलदार बीकानेर से दिनांक 6.10.1967 को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का आदेश प्राप्त कर लिया। उक्त आदेश की पालना में इन्तकाल नं. 202 दिनांक 19.02.1968 को सरपंच ग्राम पंचायत उदासर दर्ज करवा लिया। इस प्रकार इन्तकाल नं. 202 दिनांक 19.02.1968 व तहसीलदार बीकानेर का आदेश दिनांक 6.10.1967 Null & Void है। वादगत भूमि में किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हुए। कुन्नाराम उर्फ कुम्भाराम ने तथ्यों को छिपाते हुए दिनांक 06.10.1967 को खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का आदेश प्राप्त किये है लेकिन उक्त आदेश इस बार खसरा नं. 132 मौजारोही उदासर प्राप्त किये थे। तहसीलदार बीकानेर ने पटवारी हल्का उदासर को आदेश दिया कि खसरा नं. 132 तादादी 32 बीघा 9 बिस्वा पर कुन्नाराम वल्द कुशलाराम कुम्हार सां. रिडमलसर के नाम राजस्थान टेनेन्सी एक्ट की धारा 15 के तहत खातेदारी दर्ज की जावें। यानि इस बार कुन्नाराम द्वारा खसरा नं. 132 पर खातेदारी अधिकार चाहे गये तथा खसरा नं. 132 पर तहसीलदार द्वारा खातेदारी अधिकार दिये गये। लेकिन कुन्नाराम ने राजस्व अमला से साजिस करके खसरा नं. 123 अपने नाम खातेदारी में इन्तकाल नं. 202 के द्वारा दर्ज करवा लिया। कुन्नाराम

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

को मौजारोही उदासर के खसरा नं. 123 तादादी 32 बीघा 9 बिस्वा पर कभी भी खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये। क्योंकि खसरा नं. 123 की भूमि बुधमल के नाम से थी तथा द्वितीय उक्त भूमि शहरी सीमा के 5 मील की सीमा में स्थित थी। इसलिए इन्तकाल नं. 118 को सक्षम अधिकारी द्वारा खारिज किया गया था। कुन्नाराम उर्फ कुम्भाराम की मृत्यु बाद उसके पुत्र लिखमाराम पुत्र कुन्नाराम उर्फ कुम्भाराम के नाम उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज की गई। लिखमाराम ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि में से 7 बीघा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र. दिनांक 6.12.2007 को पेमाराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी करमीसर को विक्रय कर दी। इसलिए अप्रार्थी सं. 1 पेमाराम को किया गया विक्रय पत्र Null & Void होने से पेमाराम को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हुए है। लिखमाराम ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि से 25 बीघा श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी रामगोपाल जाति जाट को दिनांक 6.12.2007 को विक्रय कर दी। जबकि लिखमाराम को उक्त भूमि पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं है। विक्रय पत्र दिनांक 06.12.2007 अवैध एवं Null & Void है। स्व. कुन्नाराम उर्फ कुम्भाराम को किसी प्रकार के अधिकार तहसीलदार बीकानेर के आदेश दिनांक 06.10.1967 प्राप्त नहीं हुए क्योंकि उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार तत्कालीन नायब तहसीलदार बीकानेर ही खारिज कर तथा उक्त आदेश के विरूद्ध समायावधि में अपील नहीं हुई इसलिए वह आदेश अन्तिम हो गया। उक्त आदेश दिनांक 28.6.1965 को आदेश कायम रहने से अन्य आदेश पारित नहीं किया जा सकता। इसलिए तहसीलदार बीकानेर का आदेश दिनांक 06.10.1967 एवं उसकी पालना दर्ज इन्तकाल नं. 202 Null & Void होने से निरस्त करने योग्य है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर इन्तकाल नं. 202 दिनांक 19.2.1968 एवं तहसीलदार का आदेश दिनांक 6.10.1967 नल एण्ड वाईड है तथा निरस्त करने हेतु न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफर किये जाने के आदेश फरमावें।

6. इसके विपरीत अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने रेफरेंस प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुवे जवाब रेफरेंस में कथन किया कि प्रार्थना पत्र के पैरा नं. 3 में दर्ज तथ्य कतई गलत, मनगढन्त, राजस्व रेकार्ड के विपरीत एवं मनमाना दर्ज होने से स्पष्टतः अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा सं. 4 में दर्ज तथ्य 'उपरोक्त भूमि पुराना खसरा नं. 123 तादादी 32 बीघा 9 बिस्वा को जरिये इन्तकाल नं. 118 दिनांक 28.06.1965 को कुन्नाराम उर्फ कुम्भाराम पुत्र कुशलाराम के नाम खातेदारी दर्ज करने हेतु पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत किया गया, जानकारी के अभाव में अस्वीकार है। शेष तथ्य तत्कालीन नायब तहसीलदार बीकानेर ने दिनांक 28.06.1965 को इस आधार पर खारिज कर दिया कि "भूमि बीकानेर शहर की 5 मील सीमा में स्थित है" इसलिए खातेदारी नहीं दी जा सकती है। इसलिए इन्तकाल सं. 118 दिनांक 28.06.1965 को खारिज किया गया, जो कानून सम्मत था व है। क्षेत्राधिकार विहीन आदेश होने से अस्वीकार है। तत्कालीन नायब तहसीलदार बीकानेर के उक्त

अति. जिला कलेक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

इन्तकाल 118 दिनांक 28.06.1965 के विरूद्ध कुन्नाराम उर्फ कुम्भाराम या कुन्नाराम के वारिसान ने आज तक कोई अपील नहीं की, उक्त आदेश आज भी कायम है तथा उक्त इन्तकाल नं. 118 द्वारा कुन्नाराम को खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये। यदि कोई आदेश है तो भी बिना क्षेत्राधिकार मनमाना होने से स्पष्टता अस्वीकार है। कुन्नाराम उर्फ कुम्भाराम ने राजस्व अमलामाल से साजिस करके इन्तकाल नं. 118 खारिज होना बिना क्षेत्राधिकार एवं मनमाना होने से अस्वीकार है। शेष तथ्य तहसीलदार बीकानेर से दिनांक 5.10.1967 को खातेदारी अधिकार प्राप्त कर उक्त आदेश प्राप्त कर, उक्त आदेश दिनांक 06.10.1967 के आदेश की पालना में इन्तकाल नं. 202 दिनांक 19.02.1968 को सरपंच ग्राम पंचायत उदासर दर्ज किया गया, स्वीकार है। जो कानून सम्मत होने के कारण शेष दर्ज तथ्य इन्तकाल नं. 202 दिनांक 19.02.1968 व तहसीलदार बीकानेर का आदेश दिनांक 06.10.1967 नल एण्ड वोईड है। वादगत भूमि में किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हुए। कतई गलत एवं कानून के विपरीत होने से अस्वीकार है। कुन्नाराम उर्फ कुम्भाराम को दिनांक 06.10.1976 को खातेदारी अधिकार प्रदान किये गये स्वीकार है तथा शेष तथ्य लेकिन उक्त आदेश इस बार खसरा नम्बर 132 मौजारोही उदासर के बाबत प्राप्त किये थे। जिसके संबंध में तहसीलदार बीकानेर ने पटवारी हल्का उदासर को तहरीर जारी कर आदेश दिया कि खसरा नं. 132 तादादी 32 बीघा 9 बिस्वा पर कुन्नाराम वल्द कुशलाराम कुम्हार सा. रिडमलसर के नाम राजस्थान टिनेन्सी एक्ट की धारा 15 के तहत खातेदारी दर्ज की जावे। में मात्र पैन स्लिप से गलत खसरा नम्बर दर्ज होने के अलावा भूमि की सीमा एवं खातेदार का नाम पता सही दर्ज है शेष तथ्य 'इस बार कुन्नाराम द्वारा खसरा नम्बर 132 पर खातेदारी अधिकार चाहे गये तथा खसरा नं. 132 पर ही तहसीलदार द्वारा खातेदारी अधिकार दिये गये।'' पैन स्लिम की गलती का लाभ उठाने की कुचेष्टा मात्र होने से अस्वीकार है। शेष तथ्य 'कुन्नाराम ने राजस्व अमला से साजिस करके खसरा नम्बर 123 अपने नाम खातेदारी में इन्तकाल नं. 202 के द्वारा दर्ज करवा लिया। जिससे स्पष्ट है कि कुन्नाराम को मौजारोही उदासर के खसरा नं. 123 तादादी 32 बीघा 9 बिस्वा पर कभी भी खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये। कतई गलत मनगढन्त मनमाना दर्ज होने से अस्वीकार है। शेष तथ्य खसरा नम्बर 123 की भूमि प्रथम तो बुधमल के नाम से थी द्वितीय भूमि शहरी सीमा के 5 मील में स्थित थी। दर्ज कर इन्तकाल सं. 118 यदि कोई है तो ऐसे क्षेत्राधिकार विहीन आदेश से प्रार्थी को कोई अधिकार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का प्राप्त नहीं होता है। इन्तकाल संख्या 202 प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है। कुन्नाराम उर्फ कुम्भाराम की मृत्यु के बाद उसके पुत्र लिखमाराम पुत्र कुन्नाराम उर्फ कुम्भाराम के नाम उपरोक्त भूमि राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में दर्ज की गई। लिखमाराम ने अपने जीवनकाल में उक्त भूमि में से 7 बीघा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.12.2007 को पेमाराम पुत्र पन्नाराम जाट को विक्रय कर दी। सवीकार है । शेष तथ्य

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

उक्त विक्रय भी बिना अधिकार होने से नल एण्ड वोईड है। इसलिए अप्रार्थी सं. 1 पेमाराम को किया गया विक्रय पत्र नल एण्ड वोईड होने से पेमाराम को किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं हुए है। आदि दर्ज तथ्य मनमाना एवं खिलाफ कानून होने स्पष्टतः असवीकार है। क्योंकि अप्रार्थी सं. 1 बोनाफाईड प्रेचेजर है एवं खातेदारी भूमि के पंजीकृत बैयनामा के आधार पर ही अप्रार्थी का नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज हुआ है। लिखमाराम ने अपने जीवनकाल में ही उक्त भूमि से 25 बीघा श्रीमती लक्ष्मीदेवी पत्नी रामगोपाल जाति जाट को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 06.12.2007 को विक्रय कर दी। स्वीकार है। शेष तथ्य लिखमाराम को उक्त भूमि पर किसी प्रकार के अधिकार प्राप्त नहीं। विक्रय पत्र दिनांक 06.12.2007 अवैध एवं नल एण्ड वोईड है। स्व. कुम्नाराम उर्फ कुम्भाराम को किसी प्रकार के अधिकार तहसीलदार बीकानेर के आदेश दिनांक 06.10.1967 प्राप्त नहीं हुए। गलत मनगढन्त एवं कानून के विपरीत दर्ज होने से अस्वीकार है शेष तथ्य उक्त भूमि के खातेदारी अधिकार तत्कालीन नायब तहसीलदार बीकानेर ही खारिज कर तथा उक्त आदेश के विरूद्ध समयावधि में अपील नहीं हुई इसलिए वह आदेश अन्तिम हो गया। उक्त आदेश दिनांक 28.06.1965 को आदेश कायम रहने से अन्य आदेश पारित नहीं किया जा सकता।' क्षेत्राधिकार विहीन आदेश होने से कानून की निगाह में शून्य प्रभावी होने से अस्वीकार है। शेष तथ्य तहसीलदार बीकानेर के आदेश दिनांक 06.10.1967 की पालना में दर्ज इन्तकाल सं. 202 सक्षम न्यायालय द्वारा पारित आदेश की पालना में दर्ज होने से जब तक आदेश दिनांक 06.10.67 कायम है, कानून सम्मत है, प्रार्थना पत्र काबिले खारिजी के है। प्रार्थी जागरूक नागरिक है प्रार्थी को जानकारी मिलने पर प्रार्थी ने इन्तकाल संख्या 118 एवं 202 आदि की नकले प्राप्त की, इससे पहले प्रार्थी को कोई जानकारी नहीं थी। कतई, मनगढन्त, कानून के विपरीत एवं बिना अधिकार प्रार्थना पत्र होने से अस्वीकार है। क्योंकि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बुधमल से दुरभि संधि कर भूमि की कीमते बढ जाने के कारण बुधमल द्वारा दावा प्रस्तुत करने के पश्चात पेश किया गया है, जो काबिले खारिजी के है। मियाद हेतु भी समुचित समय में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है मियाद अंतहीन नहीं है। अप्रार्थीगण के परेशान करने की नीयत से पक्षकार बनाने के कारण अस्वीकार है। रेफरेंस प्रार्थना पत्र में दर्ज तथ्य आधार हीन होने से अस्वीकार है। प्रार्थना पत्र के पैरा रिलीफ में दर्ज तथ्य इन्तकाल संख्यां 202 दिनांक 19.02.1968 एवं आदेश तहसीलदार 06.10.1967 से प्रार्थी ना तो प्रभावित पक्षकार है ना ही कानूनन प्रार्थी को रेफरेंस प्रस्तुत करने के अधिकार हासिल है एवं आदेश दिनांक 6.10.1967 के विरूद्ध कोई अपील किसी भी प्रभावित पक्षकार द्वारा किसी सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत नहीं की गई होने से आदेश फाईनल हो चुका है एवं भूमि बोनाफाईड प्रचेजर के नाम दर्ज हो चुकी है। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिले खारिजी के है।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

7. अप्रार्थीगण के अधिवक्ता ने जवाब में यह भी तथ्य अंकित किया कि कृषि भूमि रोही उदासर तहसील बीकानेर की गत खसरा नम्बर 123 तादादी 32 बीघा 9 बिस्वा जो दौराने उपनिवेशन बन्दोबस्ती खसरा नम्बर 307 तादादी 32 बीघा 9 बिस्वा अप्रार्थी सं. 3 ता 10 के पति एवं पिता के कब्जे एवं काश्त में रही है एवं मुताबिक कब्जा कानून दर्ज रेकार्ड रही है जो चक 11 बीएसएम के मुरब्बा नं. 178/33 कि.न. 6, 15, 16 तादादी 3 बीघा मु.नं. 178/41 के कि.न. 6 ता 25 तादादी 20 बीघा, मु.न. 178/49 कि.न. 11, 20 तादादी 2 बीघा मु.नं. 178/42 कि.न. 1 ता 4 तादादी 4 बीघा कि.न. 8,9,13 तादादी 3 बीघा कुल 7 बीघा इस प्रकार 32 बीघा भूमि दौराने तैयार किये जाने सूची नं. 4 व 8 दर्ज की गई। अप्रार्थीगण सं. 3 ता 10 पूर्वजों की कृषि भूमि होने एवं कब्जे काश्त में होने के कारण अप्रार्थीगण द्वारा खातेदारी दर्ज करने हेतु कार्यवाही की गई जिसमें कभी भी किसी अन्य का कब्जा नहीं होने के कारण एवं संवत 2012 से अप्रार्थीगण सं. 3 ता 10 के पूर्वज कुनाराम उर्फ कुंभाराम पुत्र कुशलाराम का कब्जा एवं काश्त संवत 2012 से पूर्व से होने के कारण कुनाराम उर्फ कुभाराम बाई आपरेशन ऑफ लॉ का कानूनन खातेदारी अधिकार प्राप्त काश्तकार हो चुका था। इसी वजह से उन्हे खातेदारी अधिकार प्रदान करते हुए राजस्व रेकार्ड में बतौर खातेदार दर्ज किया गया। प्रार्थी ने बुधमल के वारिसान जिन्होनें सहायक कलेक्टर बीकानेर के समक्ष इसी भूमि हेतु घोषणात्मक वाद सन् 2010 से प्रस्तुत कर रखा है, के नजदीकी रिश्तेदार होने से दुरभिंसंधि कर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है प्रार्थी को इस प्रकार का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं होने से प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है। लगातार 60–70 वर्षो से अप्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के पूर्वजो के कब्जे काश्त की भूमि पर प्रार्थी के कोई हित प्रभावित नहीं होते है कानूनन भी रेफरेंस प्रस्तुत करने के अधिकार लेण्ड होल्डर में निहित होने के कारण प्रार्थना पत्र काबिले खारिजी के है। प्रार्थना पत्र लगभग 50 वर्ष पश्चात् प्रस्तुत किया गया है जो स्पष्टतः मियाद बाहर है कानून में रेफरेंस हेतु कोई मियाद नहीं होने के बावजूद भी विभिन्न न्यायालयों द्वारा भी यह स्पष्ट किया जा चुका है कि समुचित समय सीमा में ही रेफरेंस किया जा सकता है जो 49 वर्ष बाद प्रस्तुत होने के कारण समय अवधि में नहीं माना जा सकता। इसलिए प्रार्थना पत्र काबिल खारिजी के है। रेफरेंस हेतु समुचित समय के भीतर रेफरेंस करने का अधिकार सिफ स्टेट ऑफ राजस्थान को ही है निजी व्यक्ति को 49 वर्ष पश्चात रेफरेंस का अधिकार नहीं है अगर प्रार्थी का हित प्रभावित होता है तो उसे उस आदेश के खिलाफ अपील पेश करनी चाहिये थी। अप्रार्थी सं. 1 व 2 भूमि के बोनाफाईड प्रचेजर है अप्रार्थी सं. 1 व 2 के नाम पंजीकृत बैयनामा दिनांक 06.12.2007 को पंजीकृत किया जाकर तस्दीक हो जाने एवं राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज होकर गत 10 वर्षो से कृषि भूमि अप्रार्थी सं. 1 व 2 के कब्जा एवं काश्त में है खेत में मौके पर आवासीय ढाणी पानी की डिग्गी स्वीकृत होकर निर्माण करवाया

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

जाकर फसल काश्त कर रहे है क्रेतागण द्वारा राजस्व रेकार्ड में रेकोर्डेड खातेदार से भूमि क्रय कर कब्जा प्राप्त किया गया है। विवादित भूमि बाबत सहायक कलेक्टर बीकानेर के समक्ष घोषणात्मक वाद ही बुधमल के वारिसान द्वारा प्रस्तुत कर रखा है एवं प्रार्थी द्वारा रेफरेंस की कार्यवाही की एवं इस आधार पर भी रेफरेंस खारिज किये जाने योग्य है। निजी व्यक्ति रेफरेंस प्रस्तुत नहीं कर सकता है। अतः प्रार्थना पत्र निराधार वेग आधारों पर आधारित होने एवं बिना अधिकार के प्रस्तुत होने से खारिज फरमाया जावे। बहस के समर्थन में विद्वान वकील अप्रार्थीगण द्वारा RRT 2012(1) page 419, RRT 2012(1) page 412,RRD 2001 page 184, RRD 2005 page 713, RRD 1999 page 128, RRT 2013(2) page 1300 RRD 2008 page 64 , RRD 1993 page 378, , RRD 2005 page 303 न्यायिक दृष्टांत प्रस्तुत किये।

8. प्रार्थी पक्ष की ओर से विद्वान अधिवक्ता ने लिखित बहस में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुवे कथन किया है कि प्रार्थी ग्राम उदासर हाल नोखा रोड गंगाशहर का निवासी है तथा शन्ति प्रिय व जागरूक नागरिक है। मौजारोही उदासर के खेत खसरा 123 तादादी 32 बीघा 9 बिस्वा भूमि बुधमल पुत्र. नथमल जाति रामपुरिया साकिन देह के कब्जे काश्त में एवं गैर खातेदारी में स्थित थी। जो राजस्व रेकार्ड मिसल बन्दोबस्त संवत 2008 से साबित है। संवत 2008 (1951) से उक्त कृषि भूमि स्व. बुधमल के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज रही तथा कब्जे काश्त में रही। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 राज्य सरकार के आफिसियल गजट में दिनांक 15.10.1955 को प्रकाशित किया गया। इस दिन भी उक्त कृषि भूमि स्व. बुधमलजी के नाम एवं कब्जे काश्त में स्थित थी। जो राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2014–2017 (सन् 1957–60) से साबित है। उक्त कृषि भूमि संवत 2005 से संवत 2017 तक कभी भी किसी अन्य व्यक्ति अथवा अप्रार्थीगण 3 से 10 के पूर्वजों के नाम दर्ज नहीं रही, ना ही कब्जे काश्त में रही थी। उक्त कृषि भूमि का राजस्व लगान भी बुधमल द्वारा अदा किया जाता था, जो लगान रसीदात से साबित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 जिस दिन लागू हुआ उस दिन उक्त कृषि भूमि स्व. बुधमल के कब्जे काश्त में थी तथा राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी इसलिए By Operation of Law स्व. बुधमल उक्त कृषि भूमि के खातेदार हो चुके थे। लेकिन राजस्व अमला ने स्व. बुधमल को राजस्व रेकार्ड में खातेदार दर्ज नहीं कर, गैरखातेदार श्रेणी में दर्ज करता रहा। उक्त कृषि भूमि से अप्रार्थीगण 3 से 10 के पूर्वज कुन्ना वल्द कुशलाराम कौम कुम्हार साकिन रिडमलसर का कभी किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा, कुन्ना वल्द कुशलाराम उक्त कृषि भूमि में कभी गैरखातेदार खातेदार अथवा गैरमौरूषी कृषक नहीं रहा। फिर भी अप्रार्थीगण 3 से 10 के पूर्वज कन्ना वल्द कुशलाराम ने राजस्व अमला से साजिस कर संवत 2018 की जमाबंदी में काश्तकार के रूप में अपना नाम फर्जी तरीके से दर्ज करवा लिया। जबकि संवत 2018 एवं संवत 2018 के बाद भी उक्त कृषि भूमि पर स्व. बुधमल का ही कब्जा काश्त था।

अति. जिला कलक्टर (प्रशासन), बीकानेर

जो राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2022 से 2025 से साबित है। जिसमें कही भी कुन्ना वल्द कुशलाराम का नाम दर्ज नहीं है। बुधमल पुत्र नथमल का निधन सन् 1966 में हुआ। तब कुन्ना वल्द कुशलाराम ने राजस्व पटवारी से साजिस करके उपरोक्त कृषि भूमि के खातेदारी अधिकार प्राप्त करने हेतु धारा 15 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रयास किया। लेकिन तब इन्तकाल नं. 118 भरा गया तथा उक्त इन्तकाल नं. 118 का दिनांक 25.06.1965 को नायब तहसीलदार बीकानेर द्वारा खारिज कर दिया गया। बुधमल जी का निधन होने कारण उक्त कृषि भूमि स्व. बुधबल जी के वारिसान के नाम दर्ज की जानी थी। लेकिन कुन्ना वल्द कुशलाराम ने फिर चालाकी करते हुए तथा राजस्व अमला से षड़यंत्र करते हुए उक्त भूमि स्व. बुधमल के वारिसान के नाम दर्ज नहीं कर इन्तकाल नं. 202 के द्वारा कुन्ना वल्द कुशलाराम के नाम दिनांक 19.02.1968 को दर्ज कर दी गई। इस संबंध में यहां विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि उक्त इन्तकाल नं. 202 दिनांक 19.02.1968 के संबंध में निम्न बिन्दु विचारणीय है।

(1). उक्त इन्तकाल नं. 202 के खाना सं. 16 में तहसीलदार बीकानेर के आदेश सं. 125 दिनांक 06.10.1967 का हवाला दिया गया है। उक्त आदेश सं. 125 को देखने से ही स्पष्ट है कि उक्त आदेश मौजारोही उदासर के खसरा नं. 132 के लिये जारी किया गया है, जो कि स्व. बुधमल की भूमि नहीं है। तहसीलदार बीकानेर द्वारा उक्त आदेश धारा 15 राज.काश्तकारी अधिनियम के तहत जारी किया गया है।

(2). इन्तकाल सं. 202 के कॉलम नं. 5 में कृषक का नाम कुन्नाराम वल्द कुशलाराम दर्ज किया गया है जबकि कानूनन कॉलम नं. 5 उस व्यक्ति का नाम अंकित होता है जिसका नाम गत जमाबंदी के खाते में दर्ज हो यानि इंतकाल नं. 202 के कॉलम नं. 2 में खाते की संख्या 156 दर्ज है और 155 नं. खाता संवत 2023 की जमाबंदी में बुधमल का नाम अंकित है। इस प्रकार कॉलम नं. 5 में कुन्नाराम का नाम अंकित होना चाहिए था। राजस्व अमला द्वारा इंतकाल नं. 202 के संबंध की गई तमाम कार्यवाही फर्जी, बनावटी एवं Null &Void है।

(3). उक्त इन्तकाल नं. 202 तत्कालिन सरपंच ग्राम पंचायत उदासर द्वारा स्वीकृत किया गया है जबकि कानूनन धारा 15 राज. काश्तकारी अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत को इन्तकाल स्वीकृत करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त नहीं था।

(4) उक्त इन्तकाल नं. 202 को देखने मात्र से स्पष्ट है कि कुन्ना के नाम जो आदेश तहसीलदार बीकानेर ने खसरा नम्बर 132 के लिये जारी किये थे लेकिन इन्तकाल स्वीकृत किया गया खसरा नं. 123 में, जो इन्तकाल के कॉलम नं. 5 के अवलोकन से ही स्पष्ट है, जहां खसरा नं. 132 का ही हवाला है।

9. प्रार्थी अधिवक्ता ने यह भी बहस में उल्लेख किया कि जमाबंदी संवत 2023 के विवरण विशेष कॉलम नं. 16 में बुधमल के वारिसान का वंशवृक्ष बनाया गया है तथा बुधमल के वारिसान के नाम अंकित किये गये है इसके साथ ही लाल स्याही से

अति. जिला कलक्टर

कुन्नाराम वल्द कुशलाराम का नाम अंकित किया गया है उक्त इन्द्राज में कांट छांट भी की गई है जो स्पष्ट करती है कि मुन्नाराम द्वारा राजस्व अमला से षड़यंत्र कर राजस्व रेकार्ड के साथ छेड़छाड की गई है तथा उक्त कृषि भूमि को हड़प करने के लिये बाद में सारे पिछले वर्षो के राजस्व रेकार्ड में कुन्नाराम का नाम अंकित किया गया है जो अपने आप में एक जांच का विषय है कि क्यों कुन्नाराम का नाम अंकित किया गया तथा क्यों बुधमल के वारिसान के नाम इन्तकाल स्वीकृत नहीं किया गया है। इसलिए उक्त अनुवानी रेफरेंस प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य है तथा राजस्व मण्डल अजमेर को रेफर करने योग्य है। ग्राम उदासर का बन्दोबस्त किया गया तथा खसरा नं. 123 के नये बन्दोबस्ती खसरा नं. 397 बने तथा तत्पश्चात् उक्त बंदोबस्ती खसरा नं. 307 के चक प्लान में जाने के कारण उक्त कृषि भूमि चक, मुरब्बा व किला नम्बर में परिवर्तित हो गई। जो इस प्रकार है। चक 11 बीएसएम के मु.नं. 178/33 किला नं. 6, 15, 16 तादादी 3 बीघा, मु.नं. 178/41 के किला नं. 6 ता 25 तादादी 20 बीघा, मु.नं. 178/42 के किला नं. 1 ता 4 तादादी 4 बीघा, किला नं. 8, 9, 13 तादादी 3 बीघा तथा मु.नं. 178/49 के किला नं. 11 व 20 तादादी 2 बीघा कुल तादादी 32 बीघा में परिवर्तित हो गई है। संवत 2033 में उक्त भूमि उपनिवेशन में आने के कारण चक सर्वे प्लान बनाया गया है जिसमें भी कॉलम नं. 23 में स्व. बुधमल जी का नाम बन्दोबस्ती काश्तकार के रूप में अंकित है तथा कॉलम नं. 24 में बाद में कुन्नाराम का नाम अंकित किया गया जो कि स्पष्ट करता है कि "जब संवत 2023 में इन्तकाल नं. 202 दर्ज कर दिया गया तथा उक्त इन्तकाल में कुन्नाराम का अंकित हो गया तो इस साल के बाद संवत 2033 में जो सर्वे प्लान बना उसमें बुधमल का नाम कैसे आया" यह स्पष्ट करता है कि कुन्नाराम का नाम हर जगह राजस्व अमला ने पिछले रेकार्ड में षड़यंत्रपूर्वक अंकित किया है। इस प्रकार इन्तकाल नं. 202 के कॉलम नं. 16 में जो तहसीलदार राजस्व बीकानेर के आदेश क्रमांक 125 दिनांक 06.12.1967 का हवाला दिया गया है कि पालना में ग्राम पंचायत उदासर द्वारा दर्ज किया गया है। ग्राम पंचायत उदासर के तत्कालिन सरपंच श्री तिलोकचन्द सेठिया ने भी माननीय न्यायालय के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर बयान दिये है कि वादगत भूमि खेत खसरान 123 तादादी 32 बीघा 9 बिस्वा मौजरोही उदासर बुधमल पुत्र नथमल जाति महाजन के नाम की एवं कब्जे काश्त की थी। उक्त कृषि भूमि पर कभी भी कुन्ना वल्द कुशला का कोई संवंध नहीं रहा तथा उन्होनें यह भी बयान दिया कि उनके सरपंच के कार्यकाल में जो इन्तकाल नं. 202 स्वीकृत किया गया है वह खेत खसरा नं. 132 के संबंध में ही स्वीकृत किया गया था, खेत खसरा नं. 123 के संबंध में किसी प्रकार की कोई स्वीकृति नहीं दी गई थी। इससे स्पष्ट है कि इन्तकाल नं. 202 संदिग्ध है तथा जांच योग्य है। अप्रार्थी नं. 3 ता 10 के पूर्वज कुन्ना वल्द कुशला का संवत 2012 अथवा संवत 2012 से पूर्व वादगत भूमि से कभी किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं रहा By Operation of Law

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन), बीकानेर

मौजाराही उदासर के खेत खंसरा नम्बर 123(पुराना), बन्दोबस्ती खसरा नं. 307 तथा वर्तमान में चक 11 बीएसएम के मु.नं. 178/33, 178/41, 178/41, 178/42 कुल तादादी 32 बीघा के बाबत अप्रार्थीगण अथवा इनके पूर्वज को कभी खातेदारी अधिकार कानूनी रूप से प्राप्त नहीं हुए, ना ही उक्त भूमि हस्तान्तरण होने से अप्रार्थी नं. 1 व 2 को वादगत भूमि के बाबत किसी प्रकार के विधिक अधिकार प्राप्त हुए है। चूंकि इन्तकाल नं. 202 Null & Void अवैध, इलिगल है। इसलिए मियाद का बिन्दु गौण हो जाता है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर इन्तकाल नं. 202 दिनांक 19.02.1968 एवं तहसीलदार का आदेश दिनांक 06.10.1967 नल एण्ड वाईड है तथा निरस्त करने हेतु न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफर किये जाने का आदेश फरमावें।

10. हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रस्तुत रेफरेंस सुनील कुमार के द्वारा शान्तिप्रिय व नागरिक की हैसियत से पेश किया । जिसका प्रकरण में प्रत्यक्ष कोई संबंध नहीं है। रेफरेंस में वर्णित भूमि ग्राम उदासर के खसरा नम्बर 123 की 32 बीघा 9 बिस्वा नामान्तरण संख्या 202 दिनांक 19.02.1968 से संबंधित है। जिसके संबंध में रेफरेंस में अंकित किया गया है कि बुधराम व कुन्नाराम के वारिसान के मध्य सहायक कलक्टर बीकानेर के न्यायालय में धारा 88,89,188 आरटीए व 136 एलआरए का नियमित वाद संख्या 206/2010 विचाराधीन है। अतः यह रेफरेंस भी रकबा राज के मामले में न होकर दो पक्षकारों के मध्य विवाद से संबंधित है। जिसके लिए नियमित वाद सक्षम न्यायालय में लम्बित है। जहां पर दोनों पक्षों के अधिकारों को विनिश्यय होना है। नामान्तरण केवल Fiscal व संक्षिप्त कार्यवाही है जिसके विरूद्ध निजी पक्षकार द्वारा करीब 48 वर्ष पश्चात् रेफरेंस प्रस्तुत किया गया है।

11. अतः उक्त विवेचन के आधार पर रेफरेंस प्रार्थना पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

12. आदेश आज दिनांक 30.10.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ए.एच गौरी)
अति.जिला कलक्टर(प्रशा)
बीकानेर

अति. जिला कलक्टर
(प्रशासन). बीकानेर

जिला कलक्टर (प्रशासन) बीकानेर